## APPROVALS

## PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(Constituted under the Pharmacy Act, 1948)
TELEGRAM
'FARMCOUNCIL
: 23239184, 23231348
: 011-23239184
E-MAIL : pcioindb.vsnl.net,in
WEBSITE
: www.pci.nic.in
Ref.No.17-1725;2017-PCl
$8724-26$ Speed Post
The Principal
Combined Councils' Building,
Temple Lane, Kola Road
Aiwan-E-Ghalib Marg
Post Box No. 7020
DELHI - 110002

Agra Public Pharmacy College of Diploma,
NH-2, Heera Lad Ki Pyau, Akbar Road,
Agra- 282007 (USP)
Sub: Decision of $297^{12}$ EC. (July, 2018) of the PCL.
Sir,
This is a reference to the subject cited above. In this connection I am directed to state that matter regarding approval of shove cited institution was placed in $297^{\text {th }}$ Executive Committee of the PCL in its meeting held on $20^{\text {th }}$ July, 2018 which decided as under -

- It was decided to approve the change in the name of the institution as per following details -

| From | To |
| :--- | :--- |
| Agra Public College of Technology | Agra Public Pharmacy College of |
| \& Management, NH-2, | Iipluma, NII-2, |
| Hecra La Ki Pyau, | Ileera Cal Ki Prau, |
| Akbar Reed, Agra -282007 (U.P) | Akbar Road, Agra -282007 (U.P) |

This is for information.
Yumas faithfully


For (ARCIINA MUDGAL)
Registrar-cum-Secrelary
Ceto-

1. The Secretary

Board of Technical Education,
Guru Gobind Singh Marg, UP-I,
Bans Mandi Chauruha, Charbagh
Lucknow - 226 001. (U.P.P)
2. The Registrar.

Uttar Pradesh Pharmacy Council,
and Floor, Arif Ashiyana Complex, Chows,
LUCKNOW - 226003 (USP.)


For (ARCHNA MCDGAL)
Registrar-cum-Secretary


> कार्शालग.

सचिव, प्रामि价क शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनक।
संख्याः- प्रारिप /परिगद सम्बदता/ 2018 /888
लखनख: दिनॉक. 15-5-2015
:-कार्यालय इताप-:
अखिल भारतीय तकनीकी सिक्षा परेशद द्वाशा सैक्षिक सत्र $2018-19$ हेतु डिप्लोशी क्तरीय लकनीकी हिक्षिण संख्थओं को अनुगोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राभिधिक शिक्षा परिषद, उ०फ० लखनऊ से सम्बद्रता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेडु दिनांक 14-5-2018 को गिदेशक, शोध निकास एवं पशिक्षण संस्र्शान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालट में बै०क सपन्न हुई। बै०क में सत्र 2018-15 हेडु आवेदित नई संख्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित स्स्थाओं का सग्बद्धता वेस्तार/पाड़्यफन/प्रवेश कगता वृत्जि हेतु सत्र 2018-19 हेतु सब्बद्वता प्रदानं किये जाने का निर्णय लैया गया।

उका के अनुकम में सन्बद्धत समिति की बैठक को मद-15 में डिप्लोना इन फार्मरी पाद्यक्रम संचालित करने वाली नई संरंश्या का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता सनिडि द्वार गहन विचार-विमर्श कर निम्नहत् निर्णय लिया गया :-
"उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी नवस्थापित निम्न डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को ए०आई0सी०टी०ई0 एवं पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत एतआई०सी०टी०ईग द्वारा अनुमोदित पाठ्यकमों के अनुरूप सत्र 2018-19 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में सभिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से संस्थाओं को सत्र 2018-19 हेतु परिषद से सम्ब्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

1. अल: निन्नानुसार संयंधित संश्शा को परिषद की निरीक्षग समिति एवं विषय-विरोषज्ञा द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बन्दूता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्रावोधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनज द्वाऱा रात्र 2018-10 हेतु निम्नांकित शात" के अधीन माठ्यकम एवं उसनें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु साग्रद्धता प्रदान की जाती है :-

| $\begin{aligned} & \text { क्र0 } \\ & \text { रंD } \end{aligned}$ | संसा कोड | संखएा का नाभ | पाठ्यक्म का नाग | एब्याइएसीणटी०ई० द्वारा रात्र 20:8-19 में अनुमोदित ग्रवेरा क्षमता | परियद द्वारा सब 2018-9 में सनुमोदित प्रवेश्य क्षमता |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 978 | आगरा पबि्लिक फार्मी कॅलेज औंप डिल्लोमा, आरदोनी, सिकदरा, आगरा | चड़िप्लंमा इन फार्मेसी | 60 | co |

सम्बद्धता हेतु जा़ँ ,
$\checkmark$ संर्था एँआई०सी०टी०ड० द्वारा निर्धारित की गयी शतों का पूर्णतः पालन करेगी।


 एक तथा दो त्रर्पीय पा०्यक्जनों हैदु रु०- 21.50000 शुल्क ही अबेक छात्र/धात्रा से जात किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जात्रों से शुख्क को सम्बन्ध में सनय-रागय पर शासन द्वारा निर्गात किले जाने वाते शास्नादेश प्रभावी होगें, और तदनसमाई करंयाही किया जाना अपश्यक होगा। कीता नेर्धरण समिति द्वारा यदि सन्न 2018-2019 हेतु फौस का पुननिधाराण किदां जाता है। तो फ़्रीस की नयीनतन दरें लागू होंगी।
$\checkmark$ संस्था को (उणम० प्राहिधिक शिश्रा समितियों तथा ज्व समेतियों, संख्थां कों सम्द्द किसा जान) विनियगाखली 2000 की शबों का अनुसालन करना होगा।


